भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(युवा कार्यक्रम विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4070

उत्तर देने की तारीख 12 दिसम्बर, 2019

21 अग्रहायण, 1941 (शक)

नेहरू युवा केन्द्रों के लिए निधि आबंटन

4070. श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोरः

श्री परबतभाई सवाभाई पटेलः

श्री नारणभाई काछड़ियाः

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकीः

श्रीमती गीताबेन वी. राठवाः

श्री प्रदीप कुमार सिंहः

श्री शान्तनु ठाकुरः

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान नेहरु युवा केन्द्रों को राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी निधि आबंटित की गई है और उनके द्वारा उपयोग की गई राशि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस) के अंतर्गत कोई योजना नामतः पुनर्जागरण आरंभ की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) एनवाईकेएस द्वारा देश में युवाओं की छुपी प्रतिभा को पोषित करने के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने वर्ष 2014-15 में एक स्वतंत्र मूल्यांकन एजेंसी द्वारा चिन्हित एनवाईकेएस में बड़ी संख्या में रिक्त पदों की समस्या को हल किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवियों के वर्तमान आयु-वार वितरण का ब्यौरा क्या है और क्या अधिकांश स्वयंसेवियों की संख्या 40 वर्ष से अधिक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का एनवाईकेएस को पुनर्गठित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या एनवाईकेएस अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहा है और यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में किए जाने वाले प्रस्तावित उपचारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) मंत्रालय नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) को सहायता अनुदान जारी करता है और इसके बाद एनवाईकेएस अपने राज्य कार्यालयों को निधियों का आवंटन करता है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान नेहरू युवा केंद्रों को आवंटित और उनके द्वारा प्रयुक्त निधियों का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख) जी नहीं। पुनर्जागरण नामक कोई स्कीम शुरू नहीं की गई है। तथापि, महात्मा गांधी की जयंती अर्थात 2 अक्तूबर, 2014 को पूरे भारत में भारत के चारों कोनों अर्थात लेह (जम्मू और कश्मीर), ओखा (गुजरात), कन्याकुमारी (तमिलनाडु) और रोइंग (अरुणाचल प्रदेश) से एक वर्ष तक चलने वाला पुनर्जागरण कार्यक्रम शुरू किया गया। पुनर्जागरण यात्रा का समापन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 100वीं जयंती के अवसर पर अर्थात 25 सितम्बर, 2015 को मथुरा (उत्तर प्रदेश) में हुआ।

(ग) नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) अपने 623 जिला स्तरीय नेहरू युवा केंद्रों (एनवाईके) के माध्यम से पूरे देश में कार्यक्रम और कार्यकलाप आयोजित करता है। नेहरू युवा केंद्रों (एनवाईके) के तहत आयोजित/संचालित किए जा रहे कार्यक्रमों और कार्यकलापों का विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

(घ) 2273 संस्वीकृत पदों में से 824 पद 2014 से पहले से कई वर्षों से रिक्त पड़े थे और उन्हें समाप्त मान लिया गया था। वित्त मंत्रालय के अनुमोदन से विभिन्न श्रेणियों के इन सभी 824 पदों को बहाल किया गया है। एनवाईकेएस में इन पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है। अब तक, 453 पद एक खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरे गए हैं, जिनमें जिला युवा समन्वयक (डीवाईसी) के 201 पद, लेखा लिपिक सह टाइपिस्ट (एसीटी) के 148 पद और मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) के 104 पद शामिल हैं। अनुमोदित 337 अन्य पदों (जिसमें डीवाईसी के 160, एसीटी के 58 और एमटीएस के 23 पद और अन्य श्रेणियों के 96 पद शामिल हैं) के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों को भरने के लिए विभागीय पदोन्नति भी चल रही है।

(ङ.) राष्ट्रीय युवा कोर (एनवाईसी) स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार 18-29 आयु समूह के युवाओं को शुरू में एक वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक के रूप में नियुक्त किया जाता है और इस अवधि को उनके कार्यनिष्पादन के आधार पर केवल एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवकों का आयु-वार ब्यौरा अनुबंध-III में दिया गया है।

(च) जी नहीं, वर्तमान में एनवाईकेएस के पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(छ) एनवाईकेएस अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहा है ।

****

अनुबंध- I

नेहरू युवा केन्द्रों के लिए निधि आबंटन के संबंध में श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर, श्री परबतभाई सवाभाई पटेल, श्री नारणभाई काछड़िया, डॉ॰ (प्रो॰) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी, श्रीमती गीताबेन वी॰ राठवा, श्री प्रदीप कुमार सिंह और श्री शान्तनु ठाकुर द्वारा दिनांक 12.12.2019 के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4070 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबध

	नेहरू युवा केंद्र संगठन		
	आवंटित निधियों और व्यय का ब्यौरा (2016-17) (लाख रु.)		
क्र.सं.	**राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**आवंटन**	**व्यय**
1	आंध्र प्रदेश	585	550
2	अरुणाचल प्रदेश	630	581
3	असम	1,216	1,131
4	बिहार	1,711	1,576
5	छत्तीसगढ़	720	664
6	गोवा	90	94
7	गुजरात	1,126	1,046
8	हरियाणा	985	859
9	हिमाचल प्रदेश	540	509
10	जम्मू और कश्मीर	630	590
11	झारखंड	991	913
12	कर्नाटक	1,216	1,131
13	केरल	630	581
14	मध्य प्रदेश	2,161	1,998
15	महाराष्ट्र	1,531	1,421
16	मणिपुर	450	426
17	मेघालय	315	290
18	मिजोरम	360	332
19	नागालैंड	495	456
20	ओडिशा	1,351	1,264
21	पंजाब	900	840
22	राजस्थान	1,441	1,335
23	सिक्किम	180	166
24	तमिलनाडु	1,396	1,286
25	तेलंगाना	450	415
26	त्रिपुरा	180	166
27	उत्तर प्रदेश	3,197	2,984
28	उत्तराखंड	585	549
29	पश्चिम बंगाल	1,036	954
	संघ राज्य क्षेत्र	0	0
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	270	249
31	चंडीगढ़	45	41
32	दादर और नगर हवेली	45	41
33	दमन और दीव	90	83
34	दिल्ली	405	381

35	लक्षद्वीप	45	41
36	पुडुचेरी	180	166
	कुल	**28180**	**26110**
	नेहरू युवा केंद्र संगठन		
	आवंटित निधियों और व्यय का ब्यौरा (2017-18) (लाख रु.)		
क्र.सं.	**राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**आवंटन**	**व्यय**
1	आंध्र प्रदेश	720	711
2	अरुणाचल प्रदेश	641	641
3	असम	1331	1324
4	बिहार	1851	1842
5	छत्तीसगढ़	759	751
6	गोवा	92	90
7	गुजरात	1215	1208
8	हरियाणा	927	918
9	हिमाचल प्रदेश	588	582
10	जम्मू और कश्मीर	767	768
11	झारखंड	1074	1065
12	कर्नाटक	1204	1193
13	केरल	686	676
14	मध्य प्रदेश	2248	2225
15	महाराष्ट्र	1702	1691
16	मणिपुर	462	454
17	मेघालय	326	319
18	मिजोरम	347	347
19	नागालैंड	509	507
20	ओडिशा	1454	1446
21	पंजाब	973	965
22	राजस्थान	1553	1543
23	सिक्किम	214	193
24	तमिलनाडु	1503	1496
25	तेलंगाना	449	444
26	त्रिपुरा	213	202
27	उत्तर प्रदेश	4157	4104
28	उत्तराखंड	597	591
29	पश्चिम बंगाल	1299	1303
	संघ राज्य क्षेत्र	0	0
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	261	260
31	चंडीगढ़	40	40
32	दादर और नगर हवेली	43	40
33	दमन और दीव	82	78
34	दिल्ली	416	423
35	लक्षद्वीप	46	45
36	पुडुचेरी	172	171
	कुल	**30919**	**30654**

	नेहरू युवा केंद्र संगठन		
	आवंटित निधियों और व्यय का ब्यौरा (2018-19) (लाख रु.)		
क्र.सं.	**राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**आवंटन**	**व्यय**
1	आंध्र प्रदेश	782	729
2	अरुणाचल प्रदेश	734	680
3	असम	1,524	1,425
4	बिहार	2,217	2,077
5	छत्तीसगढ़	861	802
6	गोवा	99	93
7	गुजरात	1,335	1,234
8	हरियाणा	1,023	917
9	हिमाचल प्रदेश	630	579
10	जम्मू और कश्मीर	934	801
11	झारखंड	1,206	1,140
12	कर्नाटक	1,365	1,285
13	केरल	726	679
14	मध्य प्रदेश	2,512	2,365
15	महाराष्ट्र	1,817	1,714
16	मणिपुर	514	479
17	मेघालय	388	357
18	मिजोरम	410	382
19	नागालैंड	592	555
20	ओडिशा	1,665	1,573
21	पंजाब	1,068	1,004
22	राजस्थान	1,637	1,532
23	सिक्किम	220	199
24	तमिलनाडु	1,628	1,523
25	तेलंगाना	530	495
26	त्रिपुरा	250	203
27	उत्तर प्रदेश	3,794	3,584
28	उत्तराखंड	672	624
29	पश्चिम बंगाल	1,414	1,343
	संघ राज्य क्षेत्र	0	0
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	296	278
31	चंडीगढ़	58	55
32	दादर और नगर हवेली	50	47
33	दमन और दीव	105	100
34	दिल्ली	452	426
35	लक्षद्वीप	54	51
36	पुडुचेरी	208	195
	कुल	**33,769**	**31,524**

	नेहरू युवा केंद्र संगठन		
	आवंटित निधियों और व्यय का ब्यौरा (2019-20) (लाख रु.)		
क्र.सं.	**राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**आवंटन**	**व्यय नवम्बर, 2019 तक**
1	आंध्र प्रदेश	716	413
2	अरुणाचल प्रदेश	771	445
3	असम	1,486	858
4	बिहार	2,092	1,207
5	छत्तीसगढ़	881	508
6	गोवा	110	64
7	गुजरात	1,376	794
8	हरियाणा	1,046	604
9	हिमाचल प्रदेश	661	381
10	जम्मू और कश्मीर	771	445
11	झारखंड	1,211	699
12	कर्नाटक	1,486	858
13	केरल	771	445
14	मध्य प्रदेश	2,642	1,525
15	महाराष्ट्र	1,871	1,080
16	मणिपुर	550	318
17	मेघालय	385	222
18	मिजोरम	440	254
19	नागालैंड	605	349
20	ओडिशा	1,651	953
21	पंजाब	1,101	635
22	राजस्थान	1,761	1,017
23	सिक्किम	220	127
24	तमिलनाडु	1,706	985
25	तेलंगाना	550	318
26	त्रिपुरा	220	127
27	उत्तर प्रदेश	3,908	2,256
28	उत्तराखंड	716	413
29	पश्चिम बंगाल	1,266	731
	संघ राज्य क्षेत्र	0	0
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	330	191
31	चंडीगढ़	55	32
32	दादर और नगर हवेली	55	32
33	दमन और दीव	110	64
34	दिल्ली	495	286
35	लक्षद्वीप	55	32
36	पुडुचेरी	220	127
	कुल	**34,292**	**19,792**

अनुबंध- ।।

नेहरू युवा केन्द्रों के लिए निधि आबंटन के संबंध में श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर, श्री परबतभाई सवाभाई पटेल, श्री नारणभाई काछड़िया, डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी, श्रीमती गीताबेन वी. राठवा, श्री प्रदीप कुमार सिंह और श्री शान्तनु ठाकुर द्वारा दिनांक 12.12.2019 के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4070 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबध

<u>नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) के तहत आयोजित/ संचालित किए जा रहे कार्यक्रम और कार्यकलाप</u>

क. मुख्य कार्यक्रम

युवा कार्यक्रम विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा वार्षिक बजट के माध्यम से वित्त पोषित। यह कार्यकलाप देश में सभी नेहरू युवा केंद्रों के लिए हैं।

एनवाईकेएस हर साल युवा क्लब विकास, जागरूकता और शिक्षा, क्षमता में वृद्धि, खेल भावना को बढ़ावा देने, लोक कला और संस्कृति के संवर्धन, कौशल उन्नयन और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रमों का आयोजन करता है:

1. ब्लॉक स्तर पर युवा क्लब विकास सम्मेलन
2. युवा नेतृत्व और समुदाय विकास संबंधी प्रशिक्षण
3. थीम आधारित जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम
4. खेलों का संवर्धन:
   - क. युवा क्लबों के लिए खेल सामग्री
   - ख. ब्लॉक स्तरीय खेल स्पर्धा
   - ग. जिला स्तरीय खेल स्पर्धा
5. बुनियादी व्यवसायों संबंधी शिक्षा
6. लोक, कला और संस्कृति का संवर्धन
7. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के दिन मनाना
8. जिला युवा सम्मेलन
9. महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती का समारोह
   - क) स्वच्छता जागरूकता एवं श्रमदान (स्वच्छता एक्शन प्लान)
   - ख) स्वछता पखवाड़ा (पखवाड़ा)
   - ग) कार्य शिविर
10. जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट युवा क्लब के लिए पुरस्कार
11. थीम आधारित जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम
12. जून 2019 को पांचवा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाना
13. भाषण प्रतियोगिता

ख. युवा कार्यक्रम विभाग की स्कीमें

एनवाईकेएस द्वारा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार की निम्नलिखित स्कीमों का कार्यान्वयन राष्ट्रीय एकता के संवर्धन, व्यक्तित्व और जीवन कौशल विकास, स्वयंसेविता, नेतृत्व विकास और स्थानीय समसामयिक मुद्दों पर विचार-विमर्श की क्षमता को बढ़ाने और इनका समाधान करने के लिए संभावित उपाय खोजने के लिए किया जाता है:

- **राष्ट्रीय युवा नेता कार्यक्रम (एनवाईएलपी)**
  - क) ब्लॉक स्तरीय नेबरहुड युवा संसद

- **राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम (एनपीवाईएडी)**
  1. राष्ट्रीय एकीकरण शिविर
  2. जीवन कौशल शिक्षा शिविर
  3. साहस शिविर
  4. अंतर-राज्यीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम (एक भारत श्रेष्ठ भारत)

ग. विशेष कार्यक्रम

युवाओं के विकास और सशक्तिकरण के लिए और अधिक कार्यक्रम और कार्यकलाप मुहैया कराने के लिए एनवाईकेएस विभिन्न मंत्रालयों और एजेंसियों के साथ मिलकर परियोजनाएं चला रहा है। यह एक तरह से अन्य मंत्रालयों और विभागों को एनवाईकेएस की व्यापक पहुंच का लाभ उठाने में सहायता कर रहा है और युवाओं को विकास कार्यकलापों में भाग लेने और कार्य करने का अवसर प्रदान करता है। एनवाईकेएस द्वारा निम्नलिखित परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं:

1. गृह मंत्रालय द्वारा समर्थित जनजातीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम
2. गृह मंत्रालय द्वारा समर्थित कश्मीरी युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम
3. गृह मंत्रालय द्वारा समर्थित पूर्वोत्तर युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम
4. जल शक्ति मंत्रालय द्वारा समर्थित नमामि गंगे
5. पेयजल विभाग जल शक्ति मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम
6. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा समर्थित पोषण माह
7. पर्यटन मंत्रालय द्वारा समर्थित पर्यटन पर्व

घ. जिला स्तर के विकास विभागों / एजेंसियों के सहयोग और समन्वय से किए जाने वाले कार्यक्रम

पौधरोपण, रक्तदान, गर्भवती माताओं और बच्चों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करना और सहायता करना, मोतियाबिंद के ऑपरेशन, किशोरियों को आयरन की गोलियां मुहैया कराना, स्वास्थ्य जांच शिविर, स्वच्छता एवं श्रमदान, प्लास्टिक की थैलियां इकट्ठा करना, शौचालय निर्माण के लिए प्रेरित करना, खरपतवार हटाना, जल संरक्षण, गलियों, सार्वजनिक स्थानों पर लगी प्रतिमाओं, सार्वजनिक स्थानों, शिक्षा संस्थानों, अस्पतालों आदि के लिए स्वच्छता अभियान, अस्पतालों में प्रसूति के लिए प्रेरित करना और सहायता करना, युवा क्लब के सदस्यों को रोजगारपरक कौशल विकास प्रशिक्षणों से जोड़ना, ग्रामीणों को राष्ट्रीय सामाजिक और वित्तीय समावेशी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए सहायता करना, लड़कियों और उनके अभिभावकों को लड़की का विवाह 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद करने के लिए प्रेरित करना, स्कूलों में बच्चों का नामांकन करना, मतदाता पहचान पत्र प्राप्त करने में सहायता करना आदि।

अनुबंध-III

नेहरू युवा केन्द्रों के लिए निधि आबंटन के संबंध में श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर, श्री परबतभाई सवाभाई पटेल, श्री नारणभाई काछड़िया, डॉ॰ (प्रो॰) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी, श्रीमती गीताबेन वी॰ राठवा, श्री प्रदीप कुमार सिंह और श्री शान्तनु ठाकुर द्वारा दिनांक 12.12.2019 के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4070 के भाग (ड.) के उत्तर में संदर्भित अनुबध

वर्तमान में राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवकों के आयु-वार वितरण का ब्यौरा

क्र.सं.	**आयु समूह (वर्ष में)**	**स्वयंसेवकों की संख्या**
1	18 - 19	231
2	19 - 20	1009
3	20 - 21	1449
4	21 - 22	1517
5	22 - 23	1618
6	23 - 24	1601
7	24 - 25	1455
8	25 - 26	1215
9	26 - 27	1240
10	27 - 28	970
11	28 - 29	901
कुल		**13,206**

****